

डिक्री मुकदमा इत्दादाई

(ओ.20 रुल्स 6 व 7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक

ब अलजास गणराज बडगोती आर0ए0एस0

कैलाशी पत्नि जमनालाल जाति गुसाई निवासी ग्राम अरनियां कांकड, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

(कुल कस 07) वादीगण

बनाम

रामशान पुत्र बंदी जाति जाट निवासी ग्राम अरनियां कांकड, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

(कुल कस 02) प्रतिवादीगण

मुकदमा न0 54 / 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू. मुझ गणराज बडगोती उपखण्ड अधिकारी पीपलू व हाजिरी श्री विवेक चौधरी एड0 मिनजानिब मुद्दई रुबरू प्रतिवादी अनुपस्थित मनजानिब मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है की प्रतिवादीगण को भूमि आराजी ख0न0 791/7 रकबा 1.0116 हैक्ट. वाके ग्राम अरनियां कांकड, पटवार हल्का कठमाना में स्थायी निषेधाज्ञा से सदा सर्वदा के लिए पाबन्द किया जाता है की वे वादीगण के कब्जे काश्त में मजामहत व नदाखलत नही करे। आराजीयात में प्रवेश कर वादीगण को उनकी खातेदारी भूमि से बेदखल नही करे एवं आराजी के उपयोग उपभोग में किसी की बाधा उत्पन नही करेगे। पाबंद रहे।

निजी.....मबलिक..... बाबत.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक को अदा करेगा



मोहर

दस्तावेज पर दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.10.2025 को जारी की गई।

दस्तखत.....
उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

मुददई	रुपये	पैसे	मददायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प बजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मींजान			मींजान		

नोट:- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।